कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता–भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक–16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक–16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशो से सबंधित अभ्यर्थियों निरंजन लाल बांसरे एवं अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे याचिका सं–7278/2019 निरंजन लाल बांसरे एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता मे स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिको के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या–7278/2019 निरंजन लाल बांसरे एवं अन्य बनाम राजस्थान राज व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–23.05.2019 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या–1334/2019 जितेन्द्र सिंह खिचड़ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–15.02.2019 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं–1334/2019 जितेन्द्र सिंह खिचड व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक–15.02.2019 में आदेशित किया है "So far as the prayer pertaining to grant of notional benifits etc. is concerned, the same also needs to be determined by the respondents in accordance with law and the petitioners cannot be placed at a dis-advantagious position then the person lower in merit

Needful be done by the respondents expeditiously.

with the above observation, the writ petitions filed by the petitioners stand disposed of."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी निरंजन लाल बांसरे प्राध्यापक हिन्दी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए जिनमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक–16.06.2017 के अनुसार स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	Niranjan lal bansare	25.10.1987	1508	24.08.2018	29.08.2018
2.	Pankaj kumar	15.10.1989	1379	24.08.2018	30.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक हिन्दी विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक–16.06.2017 में कनिष्ठ वरीयताधारी कार्मिक सुनीता मीणा मेरिट क्रमांक 3163 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुनीता मीणा द्वारा दिनांक–19.06.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं–7278/2019 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक–23.05.2019 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थान राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुनीता मीणा (मेरिट क्रमांक 3163) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक–16.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुनीता मीणा द्वारा दिनांक–19.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.03 21:17:18 IST
Reason: Approved

Rajasthan Education Department

सुनीता मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त दिनांक–19.06.2019 से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुनीता मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नोशनल/निरंजन लाल बांसरे एवं अन्य/या.स.–7278/2019
दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3.निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ....।
5.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ....।
6.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
7.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9.संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10.निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.03 21:17:18 IST
Reason: Approved